संं0845 / 54–1–प्रशि–1(1)2011

प्रेषक,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में

1. **आयुक्त एवं प्रशासक**
शारदा सहायक समादेश
लखनऊ

2. **अध्यक्ष एवं प्रशासक**
रामगंगा कमाण्ड
पाण्डुनगर कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ   दिनांक
अगस्त,2011

विषयः– समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबधन कार्यक्रम एवं वाटरशेड विकास परियोजनाओ के लिये कैपसिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजी के अनुसार प्रबंधकीय, प्रशासकीय, मध्यस्तरीय, क्षेत्र स्तरीय, अधिकारियो / कर्मचारियो एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी के प्रत्येक स्तर के अध्यक्ष / सचिव / सदस्य / लाभग्राहियो के प्रशिक्षण के संबध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0 655 / 54–1–प्रशिक्षण–1(1)2011 दिनांक 14 जुलाई ,2011 का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से विभागीय कार्यक्रमो के सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम हेतु जारी गाइड लाइन 2010 तथा वाटरशेड विकास परियोजनाओ के कार्यान्वयन के लिये भा0स0 के समान मार्गदर्शी सिद्वान्त–2008 एवं भा0स0 ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 एम 11019 / 01 / 2010–एम0ई0 दिनांक 29 सितम्बर,2010 आपरेशनल गाइड लाइन कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजी फार आई0डब्लू0एम0पी0 द्वारा विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण माड्यूल्स प्रेषित किया गया है।

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम तथा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में निर्धारित प्रशिक्षण माड्यूल्स के अनुसार वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी0ए0डी0डब्लू0एम0 एवं आई0डब्लू0एम0पी0) सभी संबधित वर्गो की क्षमता, दक्षता एवं कौशल विकास हेतु प्रबंधकीय, प्रशासकीय, मध्यस्तरीय, क्षेत्र स्तरीय अधिकारियो, कर्मियो एवं प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी से संबधित समस्त स्टेक होल्डर्स, लाभग्राही कृषक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूजर्स ग्रुप, डब्लू0सी0 एवं जल प्रबंध समिति के अध्यक्ष सचिव, सदस्य, लाभग्राही कृषको का वृहद स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, तिथियो के साथ प्रशिक्षणार्थियों की संख्या सहित पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यक्रम की प्रतियॉ समस्त उप निदेशक एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये संबधित संस्थानो से संपर्क /वार्ता स्थापित कर प्रशिक्षण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय
ह0 –
(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

संं0845 / 54–1–प्रशि–1(1)2011तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी।
2. संबधित संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथियो में प्रशिक्षण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

ह0 —
(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव